न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 04/2024
निर्णय दिनांक 31.05.2024
GCMS NO : 2024/11

भारूराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू
2. पुरणी देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासीनी ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. श्रीमति दायमा सुनिता देवी पत्नी महावीर जाति ब्राहमण निवासीनी 18/1, ईश्वरदत्ता लेन वार्ड न. 27 हावड़ा सदर कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 एलआर एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री हरीशचन्द्र पारीक एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के अधिवक्ता श्री शक्ति सिंह एड. उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी भारूराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी सालासर ने एक भूखण्ड खसरा संख्या 1930/1136 तादादी 11 बीघा 6 बिश्वा वाके सीमा ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में से 10 बिस्वा भूमि क्रेता श्रीमती दायमा सुनिता देवी पत्नी महावीर जाति ब्राहमण निवासी 18/01 ईश्वरदतालेन वार्ड न. 27 हावड़ा सदर कोलकता पश्चिम बंगाल को दिनांक 20.03.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी जिसके आसा–पासा विक्रय पत्र में अंकित किये थे कि उतर में पीथाराम का भूखण्ड, दक्षिण में रास्ता आम 20 फुट चौड़ा, पूर्व में 16 फुट चौड़ा रास्ता आम तथा पश्चिम में रास्ता 16 फुट चौड़ा आसा–पासा है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में मौका पर नक्शा तरमीम करते समय विक्रय पत्र में अंकित आसा–पासा अनुसार न कर अन्य जगह पर अंकित कर दिये गये। दायमा सुनिता देवी उपरोक्त आसा–पासा अनुसार ही कब्जा दिया गया था तथा वर्तमान में उसी अनुसार काबिज है भूलवंश जंहा नक्शा में तरमीम किया गया है वंहा पर क्रेता सुनिता देवी का कब्जा न होकर विक्रेता स्वयं एवं पूरणी देवी पत्नी कन्हैयालाल का कब्जा है जिसमें से पूरणी देवी का एक भूखण्ड पर कब्जा है।

प्रार्थी भारूराम ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 2025/1986 रकबा 9 बीघा 18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

बिस्वा 13 बिस्वांशी वाके रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ में से 03 बिस्वा भूमि क्रेता पूरणी देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2016 उपपंजीयक सालासर के द्वारा विक्रय किया था जिसमें क्रेता पूरणी देवी को विक्रित 3 बिस्वा भूमि के आसा–पासा उत्तर में भूमि केशर ध.प. सुमेररिंह राजपूत व प्रेमकंवर पत्नी प्रतापसिंह जालू, दक्षिण में बाकी मादा भूमि विक्रेता स्वयं की, पूर्व में खेत कानाराम पुत्र मानाराम नायक तथा पश्चिम में रास्ता 16 फीट चौड़ा प्रणकर्ता विक्रेता द्वारा आवागमन हेतु छोड़ा हुआ है। उपरोक्त आसा–पासा के भूखण्ड का विक्रय क्रेता पूरणी देवी को करने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम अन्य जगह कर दिया गया है तथा इस 3 बिस्वा भूमि के नये खसरा संख्या 2215/2025 कायम कर दिये गये है तथा कब्जा प्रार्थी द्वारा करवाये गये विक्रय पत्र में अंकित आसा–पासा अनुसार ही करवाया गया था तथा जो विक्रय पत्र की तारीख से क्रेता पूरणी देवी उसी स्थान पर काबिज है।

यह कि विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2024 से श्रीमती दायमा सुनिता दायमा को 10 बिस्वा भूमि विक्रय की थी जिसमें आसा–पासा स्पष्ट रूप से अंकित है। परन्तु राजस्व रेकॉर्ड में भूलवंश तरमीम करते वक्त अन्य जगह तरमीम कर दिया गया व खसरा संख्या 1985/1930 कायम कर दिये गये एवं विक्रयपत्र दिनांक 07.10.2016 में श्रीमती पूरणी देवी को 3 बिस्वा विक्रय किया गया है उसमें भी आसा–पासा स्पष्ट अंकित है तथा क्रेता पूरणी देवी का उसी अनुसार कब्जा है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा में तरमीम अन्य जगह अंकित हो गई। विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2014 व विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2016 के आसा–पासा के विपरित अन्य जगह तरमीम करने से प्रार्थी को भारी असुविधा हुई है तथा वाजिब कानूनी अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है इसलिए प्रार्थी को आवश्यक हो गया कि वोह गलत तरमीम को दुरस्त करवाकर विक्रय पत्र दिनांक 20.03.2014 व विक्रय पत्र दिनांक 07.10.2016 में अंकित आसा–पासा अनुसार सही तरमीम करवाये।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्तानुसार तरमीम दुरस्त की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से हस्तगत प्रार्थना–पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी रोही ग्राम सालासर के खसरा संख्या 2787/2456, 2215/2205 व 1985/1930 के पास लगते (प्रभावित) खसरा संख्या 2333/2216, 1929/1136 व 2024/1986 का मौका व विक्रयपत्र के आसे–पासे अनुसार राजस्व देखा तो ऑनलाईन तरमीम अशुद्ध पायी गई है अतः प्रस्तावित तरमीम के अनुसार नक्शा तरमीम को दुरस्त किये जाने की अभिशंषा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में विक्रय पत्र में अंकित आसा पासा से भिन्न जगह तरमीम कर दिये जाने से प्रार्थीनीगण का हित प्रभावित होता है तथा प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार है। जिस पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर आपति नहीं होने का अंकन किया जिस पर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार पर पक्षकारान को सुना गया। रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न विक्रय पत्र की प्रति में विरोधाभाष होने के कारण पुनः रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम सालासर के खसरा संख्या 2787/2456, 2215/2025 वं 1985/1930 का राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा देखा व विक्रयपत्रों में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

अंकित आसे–पासे का मौके से मिलान मौके पर किया तो ऑनलाईन तरमीम अशुद्ध पाई गई। अप्रार्थीनीगण संख्या 02 व 03 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्रों में अंकित आसा पासा के अनुसार नक्शा तरमीम किये जाने पर कोई आपति नहीं है मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार नक्शा में तरमीम किये जाने पर हमें आपति नही बल्कि सहमति है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर

उपलब्ध रिपोर्ट तहसीलदार तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित तरमीम का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन गलत इन्द्राज है। अप्रार्थीनीगण संख्या 02 व 03 ने भी प्रस्तावित तरमीम शुद्ध किये जाने बाबत कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है। राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम गलत होने से प्रार्थी को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ क्रमांक 2231 दिनांक 31.05.2024 तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के खसरा संख्या 2787/2456, 2215/2025 व 1985/1930 की ऑनलाईन तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध है जिसको तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट क्रमांक 2231 दिनांक 31.05.2024 तथा संलग्न दस्तावेजात के संलग्न हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से मौका नक्शा में शुद्धि हेतु प्रस्तावित तरमीम के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरस्त किया जावे। हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट भी आदेश का ही भाग रहेगा। तहसीलदार सुजानगढ़ को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर सर इजलास सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

फर्द मौका

आज दिनांक 13/05/2024 को कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ़ के आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/1938 दिनांक 13/05/2024 व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू के क्रमांक: रीडर/2024/535 दिनांक 07-05-2024 के प्रकरण संख्या 04/24 भारमाराम बनाम सरकार की रिपोर्ट के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट हेतु ग्राम सालासर के ख.न. 2787/2456, 2215/2025 व 1985/1930 का राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा देखा व विक्रय पत्रों में अंकित चारों पासे का मौका से मिलान मौके पर किया तो ग्राम सालासर के ख.न. 2787/2456, 2215/2025 व 1985/1930 की ऑनलाइन नक्शा तरमीम अशुद्ध पाई गई है।

वर्तमान नक्शा ऑनलाईन तरमीम जो अशुद्ध है।

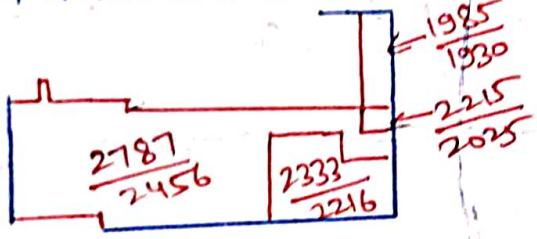

मौका व विक्रय पत्रों के चारों पासे अनुसार शुद्ध हेतु प्रस्तावित नक्शा तरमीम

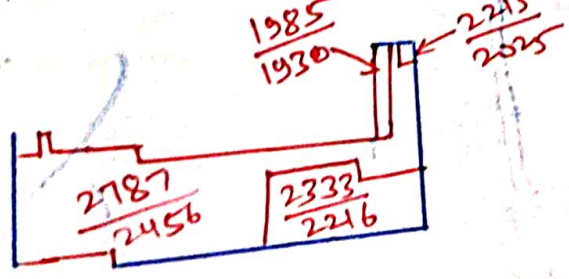

उपरोक्त अनुसार शुद्धि हेतु प्रस्तावित नक्शा तरमीम का नजरी नक्शा मौके पर तैयार किया एवं उपस्थित प्रभावित खातेदारों एवं अन्य के समक्ष स्वरूप नक्शा तरमीम को शुद्ध करने हेतु करवाये।

अतः श्रीमान्जी, प्रस्तावित तरमीम अनुसार प्रस्तुत है।

13/05/2024
पटवारी प.ह. सालासर

Ramlal
रविन्द्र
भारमाराम
कमल किशोर
प्रभुराम